<u>भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा सं 6/25/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक 30 जनवरी, 2026

<u>प्रारंभिक जॉच परिणाम</u>
<u>केस संख्या AD (OI) - 22/2025</u>

<u>विषय: चीन जनवादी गणराज्य एवं थाईलैंड किंगडम के मूल के अथवा वहॉ से निर्यातित "एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" के आयात से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जाँच</u>

फा. सं. 6/25/2025-डीजीटीआर – समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995, (जिसे आगे 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली, 1995' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. यत:, मेसर्स लुपिन लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने अधिनियम एवं पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष, "एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' या 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है) के चीन जनवादी गणराज्य ("चीन") एवं थाईलैंड किंगडम ("थाईलैंड") के मूल के अथवा वहॉ से निर्यातित आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया।
2. और यत:, आवेदक द्वारा दायर विधिवत रुप से साक्ष्यांकित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/25/2025-डीजीटीआर दिनांक 23 सितंबर 2025 के माध्यम से, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार,

संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की, ताकि संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

<u>ख. प्रक्रिया</u>

3. इस जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार, जाँच की शुरूआत करने से पहले भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने दिनांक 23 सितंबर 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसके द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की गई।

ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जॉच शुरूआत अधिसूचना की प्रति भेजी तथा उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, आवेदन की अगोपनीय प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन की अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, अनुरोध करने पर प्रदान की गई।

ड़. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

i. कॉन्शिएंटिया इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
ii. वुहान वुयाओ फ़ार्मास्यूटिकल लिमिटेड, चीन जन. गण.

iii. आन्हुई बेकर फ़ार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
iv. शेनयांग होंगची फ़ार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
v. गुआंगझोउ फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, चीन जन. गण.
vi. लिनेरिया केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड, थाईलैंड

च. भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

छ. जॉच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति तथा आवेदन की अगोपनीय प्रति रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग को भेजी गई। तथापि, प्राधिकारी को कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

ज. इसके उत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

i. वुहान वुयाओ फ़ार्मास्यूटिकल लिमिटेड, चीन जन. गण.
ii. मेसर्स साइनोब्राइट फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, चीन जन. गण.
iii. मेसर्स ब्रिलियंट फ़ार्मास्यूटिकल लिमिटेड, चीन जन. गण.

झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

i. अनुह फ़ार्मा लिमिटेड
ii. एक्वाटिक रेमेडीज़ लिमिटेड
iii. कैडिला फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
iv. इमेक्स ओवरसीज़
v. मैक्लियोड्स फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
vi. अल्फा केमिका
vii. स्ट्राइड्स फ़ार्मा साइंस लिमिटेड
viii. हेल्दी लाइफ़ फ़ार्मा प्रा. लिमिटेड
ix. केमिकल बुल प्रा. लिमिटेड
x. जोशी एग्रोकेम फ़ार्मा प्रा. लिमिटेड
xi. गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड
xii. सेंचुरियन हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड

xiii. निक्सन फ़ार्मास्यूटिकल्स
xiv. केमकोपिया इंग्रीडिएंट्स प्रा. लिमिटेड

ञ. इसके उत्तर में, किसी भी आयातक/प्रयोक्ता द्वारा प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए।

ट. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई तथा सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों की अगोपनीय प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल के माध्यम से भेज दें।

ठ. डीजीसीआई एंड एस तथा डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि एवं जाँच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का सौदा-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने सौदों की समुचित जाँच के पश्चात आयात मात्रा की गणना एवं आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर भरोसा किया है।

ड. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जाँच वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा जाँच अवधि को सम्मिलित करते हुए की गई है।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, जहाँ आवश्यक पाया गया, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया तथा ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहाँ संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई सूचना की पर्याप्त अगोपनीय प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

ण. जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक जानकारी देने से इनकार किया, अथवा अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की, या जाँच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की, वहाँ ऐसे पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा असहयोगी माना गया तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/अवलोकन दर्ज किए गए।

त. प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्टूबर 2025 के सूचना पत्र के माध्यम से ज्ञात निर्यातकों/आयातकों आदि को पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति के संबंध में 15 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, अतः प्राधिकारी ने 29 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, जॉच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित पीयूसी एवं पीसीएन के अंतिम दायरे को अधिसूचित किया।

थ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के परिशिष्ट-III के अनुसार, भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

द. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए समस्त तर्कों तथा प्रदान की गई जानकारी पर उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जाँच के लिए संगत होने की सीमा तक विचार किया है। प्राधिकारी प्रारंभिक जॉच परिणाम के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे साक्ष्यात्मक दस्तावेज़ों की आगे जाँच करेंगे, जो अंतिम जॉच परिणाम के समय जॉच परिणाम का आधार बनेंगे।

ध. इस दस्तावेज़ में '***' चिह्न हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी को दर्शाता है, जिसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है।

न. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.45 रुपये है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु</u>

<u>ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

4. पीयूसी के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

<u>ग.2 घरेलू उद्योग के विचार</u>

5. पीयूसी के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड एक बैक्टीरियोस्टैटिक औषधि है, जिसका आणविक सूत्र $C_{10}H_{24}N_2O_2.2HCl$ है।

ख. यह एथाम्बुटोल से निर्मित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (फ्री बेस) है। एथाम्बुटोल एक तैलीय द्रव के रूप में विद्यमान होता है, जिसकी जल में घुलनशीलता कम तथा स्थिरता सीमित होती है। इसे टैबलेट एवं अन्य डोज़ेज़ रूपों में उपयोग के योग्य बनाने के लिए इसे इसके लवण रूप, जिसे एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) कहा जाता है, में परिवर्तित किया जाता है।

ग. एथाम्बुटोल (फ्री बेस) का कोई स्वतंत्र चिकित्सीय उपयोग नहीं है और इसे सीधे फॉर्मूलेशनों में उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग केवल इसके हाइड्रोक्लोराइड लवण रूप – एथाम्बुटोल एचसीएल – में परिवर्तित करने के पश्चात ही किया जाता है। तदनुसार, एथाम्बुटोल (बेस) और एथाम्बुटोल एचसीएल दोनों का अंतिम उपयोग अर्थात् औषधीय पदार्थ के रूप में, समान है, । अतः आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि एथाम्बुटोल के दोनों रूपों को पीयूसी का भाग माना जाए।

घ. एथाम्बुटोल का आयात एचएस कोड 2905 14 10 तथा 2905 14 90 के अंतर्गत किया जाता है। आवेदक ने आयात आँकड़ों की जाँच के लिए दोनों टैरिफ शीर्षों के लिए डीजीसीआई एंड एस से आँकड़े मंगाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की संगत प्रथा के अनुरूप, आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण को केवल संकेतात्मक माना जाए तथा इसे वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी न माना जाए।

<u>ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

6. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" है, जो एक बैक्टीरियोस्टैटिक औषधि है, जिसका आणविक सूत्र $C_{10}H_{24}N_2O_2.2HCl$ है। यह एथाम्बुटोल से निर्मित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (फ्री बेस) है। एथाम्बुटोल एक तैलीय द्रव के रूप में विद्यमान होता है, जिसकी जल में घुलनशीलता कम तथा स्थिरता सीमित होती है। इसे टैबलेट एवं अन्य डोज़ेज़ रूपों में उपयोग के योग्य बनाने के लिए इसे इसके लवण रूप, जिसे एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) कहा जाता है, में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान जाँच का उद्देश्य भारत में आयात किए जाने पर विचाराधीन उत्पाद के दोनों रूपों को सम्मिलित करना है।

7. पीयूसी को अध्याय 29, जिसका शीर्षक "कार्बनिक रसायन" है, के अंतर्गत एचएस कोड 2905 14 10 में वर्गीकृत किया गया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु का आयात 2905 14 90 के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में किसी भी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया गया था। दिनांक 23.09.2025 की जॉच शुरूआत अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं। यह नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा पीयूसी के दायरे के संबंध में अथवा किसी पीसीएन पद्धति को अपनाने के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई। तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 29.10.2025 की अधिसूचना के माध्यम से यह सूचित किया कि पीयूसी के दायरे अथवा पीसीएन पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है तथा प्राधिकारी ने जॉच शुरूआत अधिसूचना संख्या 6/25/2025-डीजीटीआर दिनांक 23.09.2025 में अधिसूचित पीयूसी के उसी दायरे के साथ आगे की कार्यवाही की है।

9. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं।

10. अतः, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पंहुचे हैं कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के लिए नियमावली 2(घ) के अंतर्गत यथा परिभाषित "समान वस्तु" हैं। उपर्युक्त के मद्देनज़र, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निर्धारित करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि दिनांक 23.09.2025 की जॉच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया था, और वह निम्नानुसार है:

"वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद 'एथाम्बुटॉल हाइड्रोक्लोराइड' है, जो आणविक सूत्र $C_{10}H_{24}N_2O_2.2HCl$ *वाला एक बैक्टीरियोस्टैटिक औषधि है।*

यह एथाम्बुटॉल से निर्मित एक श्वेत स्फटिकीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (फ्री बेस) है। एथाम्बुटॉल एक तैलीय द्रव के रूप में विद्यमान होता है जिसकी जल में घुलनशीलता कम होती है तथा स्थिरता सीमित होती है। इसे टैबलेट एवं अन्य डोज़ेज़ फॉर्म में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसे इसके लवण रूप, अर्थात्

एथाम्बुटॉल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल), में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान जाँच का उद्देश्य इसके भारत में आयात के समय, इसके दोनों रूपों में आयातित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल करना है।"

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

12. अन्य घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. लुपिन लिमिटेड के अतिरिक्त, एक अन्य घरेलू विनिर्माता कैडिला फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड है, जो संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करता है।

ख. कैडिला फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड संबद्ध वस्तु का आयातक भी है।

ग. थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड पूर्व में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करता था, तथापि उसने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से अभिप्राय उन घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में संलग्न हैं तथा उससे संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न हैं, या ऐसे उत्पादक जिनका सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनाता है; परंतु यह तब लागू नहीं होगा जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं आयातक हों। ऐसे मामलों में 'घरेलू उद्योग' शब्द का आशय शेष उत्पादकों से लगाया जाएगा।"

14. आवेदक ने दावा किया है कि लुपिन लिमिटेड के अतिरिक्त एक अन्य उत्पादक, अर्थात् कैडिला फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, संबद्ध वस्तु का उत्पादन करता है। थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड पूर्व में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करता था, परंतु उसने संबद्ध

वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि कैडिला फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड संबद्ध वस्तु का आयातक भी है।

15. आवेदक के दावे का सत्यापन डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से किया गया, जिससे यह पाया गया कि कैडिला फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का *** मीट्रिक टन आयात किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने दिनांक 22 अगस्त 2025 के ई-मेल के माध्यम से कैडिला फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड से संबद्ध वस्तु के निर्माण से संबंधित जानकारी, जैसे–विनिर्माण क्षमता, उत्पादन मात्रा, घरेलू बिक्री, तथा पीयूसी का आयात, यदि कोई हो, तो स्पष्ट करने एवं प्रदान करने के लिए कहा था। तथापि, दोनों कंपनियों से आज की तारीख तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

16. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लुपिन लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक का देश में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः, आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है तथा आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियमावली 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. गोपनीयता के दावों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

   क. साइनोब्राइट फ़ार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का भारत में कोई कार्यालय नहीं है; नई दिल्ली और मुंबई में कार्यालय होने से संबंधित वेबसाइट जानकारी मात्र एक विपणन रणनीति है। वास्तव में, वेबसाइट पर नई दिल्ली और मुंबई शीर्षक के अंतर्गत कोई पता उल्लिखित नहीं है।

   ख. अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में, निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर व्यापार सूचना संख्या 06/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 के आधार पर दायर किया गया है। जहाँ भी गोपनीयता का दावा किया गया है, वहाँ-वहाँ उसके कारण विधिवत रुप से दर्ज किए गए हैं।

ग. ब्रिलिएंट फ़ार्मास्युटिकल लिमिटेड का निगमन 2022 में हुआ था तथा परिशिष्ट-1 में आधार वर्ष के रूप में कैलेंडर वर्ष 2022 के आंकड़े दर्शाये गये हैं, क्योंकि निर्यातक का वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर है। 2022 और 2023 में कंपनी ने न तो भारत को और न ही किसी अन्य देश को पीयूसी का निर्यात किया।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका व्यापार सूचना संख्या 05/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 के अनुरूप नहीं है।

ड़. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग ने पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री, घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य, याचिका में देश-वार सामान्य मूल्य के अनुमान, अनुसंधान एवं विकास व्यय, जुटाई गई निधियाँ, निर्यात के लिए प्रति इकाई बिक्री लागत, तथा औसत उद्योग मानक के रूप में औसत पूंजी नियोजित पर पीबीआईटी के प्रतिशत आदि से संबंधित जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।

<u>ड़.2 घरेलू उद्योग के विचार</u>

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भागीदार उत्पादक/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली उत्तरों में पर्याप्त औचित्य प्रदान किए बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ख. ब्रिलिएंट फ़ार्मास्युटिकल लिमिटेड का प्रश्नावली उत्तर असंगत है, क्योंकि उसने 2021-22 में उत्पादों के लिए कारोबार दर्शाया है, जबकि वह 2022 से ही परिचालन प्रारंभ होने का दावा करता है।

ग. वुहान वूयाओ ने चरण-वार उत्पादन प्रक्रिया का व्यापक विवरण प्रदान नहीं किया है। पाटन मार्जिन की गणना पर सार्थक टिप्पणियाँ करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं का सामान्य विवरण आवश्यक है।

घ. वुहान वूयाओ ने अपने संबंधित पक्षकारों के नाम को पूर्णतः गोपनीय बताया है और इसके अभाव में लुपिन लिमिटेड यह टिप्पणी नहीं कर पा रहा है कि क्या कोई अन्य संबंधित कंपनी पीयूसी के उत्पादन या बिक्री में संलग्न है।

ङ. साइनोब्राइट फ़ार्मास्युटिकल्स का यह तर्क कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भारत में कार्यालयों के संदर्भ मात्र विपणन रणनीति हैं, असंगत है तथा यह इसके अपने सार्वजनिक प्रकटन एवं आचरण से प्रत्यक्ष रूप से विरोधाभासी है।

च. साइनोब्राइट की आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से "2006 - भारत में कार्यालय की स्थापना" को एक कॉर्पोरेट उपलब्धि के रूप में दर्ज किया गया है तथा भारत कार्यालय (मुंबई) और भारत कार्यालय (नई दिल्ली) को पृथक कार्यालयों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से यह भी ज्ञात होता है कि विदेशी उत्पादक के कई कर्मचारी स्वयं को इसके भारत परिचालन का हिस्सा बताते हैं और मुंबई, ठाणे, हैदराबाद एवं दिल्ली में वरिष्ठ एवं परिचालन भूमिकाओं–जैसे भारत परिचालन, बिक्री एवं विपणन (ऑन-साइट), व्यवसाय विकास तथा वेयरहाउसिंग–में कार्यरत हैं।

छ. इन भूमिकाओं की प्रकृति, संख्या तथा भौगोलिक विस्तार भारत में एक संरचित एवं सतत व्यावसायिक उपस्थिति को दर्शाते हैं, जो साइनोब्राइट के इस दावे के विपरीत है कि उसका भारत में कोई कार्यालय या प्रतिष्ठान नहीं है। घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि साइनोब्राइट द्वारा भारत में परिचालन से इनकार विश्वसनीय नहीं है तथा इस पहलू पर उसके अनुरोधों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, इस निरंतर इनकार एवं भारतीय कार्यालयों के प्रकटन में विफलता को देखते हुए, प्राधिकारी को साइनोब्राइट के प्रत्युत्तर को संपूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना चाहिए।

ज. यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान लागत प्रारूपों में, जैसा कि व्यापार सूचना 05/2021 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, घरेलू उद्योग को अन्य घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादन के मूल्य से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक नहीं है।

झ. घरेलू उद्योग की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, भारत में लुपिन लिमिटेड के अतिरिक्त कोई अन्य पात्र घरेलू उत्पादक नहीं है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के अगोपनीय अंश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। अतः, घरेलू उद्योग के अतिरिक्त अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

ञ. इसी प्रकार, व्यापार सूचना 05/2021 घरेलू उद्योग से निधि जुटाने, निर्यात के लिए प्रति इकाई बिक्री लागत, अनुसंधान एवं विकास व्यय तथा औसत

नियोजित पूंजी पर पीबीआईटी के प्रतिशत के रूप में औसत उद्योग मानक से संबंधित जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा नहीं करती है। अतः, उक्त सूचनाओं का प्रकटन आवश्यक नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि देश-वार सामान्य मूल्य के अनुमानों की श्रेणी अगोपनीय आवेदन के पृष्ठ 72 पर प्रदर्श-III में विधिवत रुप से प्रदान की गई है। कच्ची सामग्री के नाम भी आवेदन के पृष्ठ 53 पर प्रकट किए गए हैं।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

(1) नियमावली 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, अथवा जांच के दौरान किसी पक्ष द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट हो, तो उसे गोपनीय माना जाएगा और ऐसी किसी भी सूचना को उसे प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में वह सूचना सारांश योग्य नहीं है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह बताते हुए कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

20. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की

गई। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश उपलब्ध कराए, जिसके लिए हितबद्ध पक्षकारों से उनके अनुरोधों के अगोपनीय संस्करणों का आदान-प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय रूप से दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उपयुक्त पाया, गोपनीयता दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। भारत में सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की संबंधित कंपनी की उपस्थिति के संबंध में, इस संबद्ध में और अधिक जॉच की आवश्यकता है। प्राधिकारी इस मुद्दे की जांच आगे की जांच प्रक्रिया के दौरान करेंगे और अंतिम जॉच परिणाम में इस संबंध में निर्णय लेंगे।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

<u>च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

<u>च.2 घरेलू उद्योग के विचार</u>

22. घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

<u>छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

<u>छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

23. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. 11 दिसंबर, 2016 को विश्व व्यापार संगठन में चीन जन. गण. के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) की अवधि समाप्त होने का अर्थ यह है कि भारत, एक डब्ल्यूटीओ सदस्य के रूप में, चीन के विरुद्ध सभी पाटनरोधी जांचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति के उपयोग को समाप्त करने के लिए बाध्य है।

ख. 11 दिसंबर, 2016 के बाद, भारत के पास डब्ल्यूटीओ करारों के अंतर्गत सामान्य मूल्य की गणना गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा ऐसा कोई भी कदम, शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य

करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार (पाटनरोधी करार) तथा अन्य शामिल करारों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा।

ग. हमारा मानना है कि डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करना जांच प्राधिकारी के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का दायित्व है।

<u>छ.2 घरेलू उद्योग के विचार</u>

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. अधिनियम की धारा 9क सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीन पद्धतियॉ प्रदान करती है:

(i) प्रथम, व्यापार के सामान्य क्रम में तुलनीय कीमत, जब समान वस्तु को निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए भेजा जाता है, अर्थात संबद्ध वस्तु का संबद्ध देश में बिक्री कीमत।

(ii) द्वितीय, संबद्ध देश से किसी उपयुक्त तीसरे देश को संबद्ध वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि निर्यात कीमत; या

(iii) अंततः, मूलता के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य व्यय तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत वृद्धि जोड़ी जाए।

ख. घरेलू उद्योग ने थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं की प्रचलित कीमत के साथ-साथ संबद्ध देश से तीसरे देश के बाज़ारों में संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया। तथापि, घरेलू उद्योग ऐसे कीमतों को निर्धारित करने के लिए किसी भी विश्वसनीय सूचना स्रोत को खोजने में असमर्थ रहा।

ग. घरेलू उद्योग यह प्रस्ताव करता है कि चीन को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था देश माना जाए और तदनुसार प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

25. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादक-निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

i. वुहान वुयाओ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड
ii. मैसर्स सिनोब्राइट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
iii. मैसर्स ब्रिलिएंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड

छ.3.1 सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण

क) चीन से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

26. विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार (पाटनरोधी करार) तथा सब्सिडी और प्रतिपूरक उपाय करार, डब्ल्यूटीओ सदस्य द्वारा चीनी मूल के आयात से संबंधित कार्यवाहियों में निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे।

(क) टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI तथा पाटनरोधी करार के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता के निर्धारण में, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों या लागत का उपयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या लागतों की सख्त तुलना पर आधारित न हो,:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं कि समान उत्पाद के निर्माण, उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता के निर्धारण के लिए चीन में कीमत या लागत का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं कि समान उत्पाद के निर्माण, उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का

उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों की सख्त तुलना पर आधारित न हो।

(ख) सब्सिडी और प्रतिपूरक उपाय करार के भाग II, III तथा V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, जब अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडियों पर विचार किया जा रहा हो, तो उक्त करार के संगत प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उनके अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान एवं मापन के लिए ऐसी कार्यप्रणालियों का उपयोग कर सकता है, जो इस संभावना को ध्यान में रखें कि चीन में प्रचलित शर्तें और परिस्थितियां सदैव उपयुक्त मानक के रूप में उपलब्ध न हों।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त कार्यप्रणालियों की सूचना पाटनरोधी प्रथाओं की समिति को तथा उप-पैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त कार्यप्रणालियों की सूचना सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों की समिति को देगा।

(घ) एक बार जब चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर देता है कि वह एक बाज़ार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्रवेश की तिथि तक बाज़ार अर्थव्यवस्था के मानदंड विद्यमान हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान प्रवेश की तारीख के 15 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन यह स्थापित करता है कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाज़ार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रावधान उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।"

27. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबंधित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ढंग और तरीके में, निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई।

28. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के परिशिष्ट-I के पैरा 7 पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग का यह दावा है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उनके उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं। यह भी कहा गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाज़ार-आधारित है, तो सामान्य मूल्य की गणना परिशिष्ट-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार की जानी चाहिए।

29. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) का प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो चुका है, तथापि विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ पढ़ने पर यह अपेक्षा करता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति बाज़ार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली के माध्यम से प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों द्वारा की जाए। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जनवादी गणराज्य से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार की जानी आवश्यक है।

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में किसी भी सहभागी उत्पादक/निर्यातक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

"7. गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था देशों से आयात के मामलों में, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित कीमत के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों (जिसमें भारत भी शामिल है) को निर्यात कीमत के आधार पर किया जाएगा, या जहां यह संभव न हो, वहां किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत शामिल है, जिसे आवश्यकता अनुसार युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से किया जाएगा तथा चयन के समय उपलब्ध किसी भी विश्वसनीय सूचना पर विधिवत विचार किया जाएगा। जांच के पक्षकारों को ऐसे चयन की सूचना बिना अनुचित विलंब के दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए युक्तिसंगत समय प्रदान किया जाएगा।"

31. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैरा 7 गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए एक श्रेणीक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित कीमत या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत या जहॉ ऐसा संभव न हो वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत, जिसे तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यथा आवश्यक समायोजित किया गया हो, सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर

निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान जांच में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित कीमत का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य किसी देश से भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं हुआ है। अतः बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात को भी सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

32. अतः प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का अनंतिम निर्धारण अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार "भारत में देय कीमत" के आधार पर किया है। इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ जोड़कर की गई है। इस प्रकार अनंतिम रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख) चीन से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

<u>वुहान वूयाओ फ़ार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड ("वूयाओ") के मामले में निर्यात कीमत</u>

33. वूयाओ विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के [***] मीट्रिक टन निर्यात की सूचना दी है। वूयाओ ने संबद्ध वस्तुओं का भारत में प्रत्यक्ष रूप से निर्यात नहीं किया है, बल्कि असंबद्ध व्यापारियों अर्थात् एम/एस–साइनोब्राइट फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड **तथा** एम/एस–ब्रिलिएंट फ़ार्मास्यूटिकल लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है।

34. वूयाओ ने संबद्ध वस्तुओं का [***] मीट्रिक टन भारत में निम्नलिखित माध्यमों से निर्यात किया है:

वूयाओ → मैसर्स साइनोब्राइट फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक, मात्रा [***]मीट्रिक टन।

वूयाओ → मैसर्स साइनोब्राइट फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड → एम/एस–ब्रिलिएंट फ़ार्मास्यूटिकल लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक, मात्रा [***]मीट्रिक टन।

35. उत्पादक/निर्यातक ने आंतरिक परिवहन तथा ऋण लागत के आधार पर निर्यात कीमत में समायोजन का दावा किया है। असंबद्ध व्यापारियों ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह तथा संबंधित व्यय, बैंक शुल्क, कमीशन तथा ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने इस स्तर पर वूयाओ और उसके असंबद्ध

व्यापारी द्वारा किए गए दावों को प्रारंभिक आधार पर स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

36. चीन से अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

ग). थाईलैंड से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

37. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में थाईलैंड से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। तदनुसार, थाईलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित अनंतिम सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

घ). थाईलैंड से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

38. थाईलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

जी3.3. पाटन मार्जिन

39. वर्तमान जांच में अनंतिम रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (अम.डा./ मी.टन)	निर्यात कीमत (अम.डा./ मी.टन)	पाटन मार्जिन (अम.डा./ मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
चीन					
वुहान वूयाओ फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	20-30

उत्पादक	सामान्य मूल्य (अम.डा./	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
अन्य	***	***	***	***	25-35
थाईलैंड					
अन्य	***	***	***	***	15-25

<u>ज. क्षति का आकलन एवं कारणात्मक संबंध</u>

<u>ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में कोई भी अनुरोध नहीं किया गया है।

<u>ज.2 घरेलू उद्योग के विचार</u>

41. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आधार वर्ष की तुलना में, जांच अवधि के दौरान आयात की मात्रा में लगभग 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय मांग में केवल लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ख. वर्ष 2023-24 की तुलना में, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात 3025 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है।

ग. भारतीय उत्पादन क्षमता संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने के बावजूद आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अतः आयात पूरी तरह से मांग-आपूर्ति अंतर से अधिक है।

घ. यद्यपि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के साथ जांच अवधि में अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा, तथापि आयात की मात्रा में वृद्धि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री से कहीं अधिक रही, जबकि घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध थी।

ड़. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक तथा काफी अधिक रही है।

च. संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने आवेदक कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

छ. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी लगभग *** प्रतिशत थी, जो जांच अवधि में घटकर *** प्रतिशत रह गई। इसी अवधि में आयात की बाज़ार हिस्सेदारी आधार वर्ष के *** प्रतिशत की तुलना में बढ़कर जांच अवधि में *** प्रतिशत हो गई। संबद्ध देशों के निर्यातकों की आक्रामक निर्यात कीमत नीति के कारण घरेलू उद्योग की लगभग *** प्रतिशत उत्पादन क्षमता निष्क्रिय पड़ी हुई है।

ज. यद्यपि प्रस्तावित जांच अवधि में मांग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं क्षमता उपयोग बेहतर हुआ है, तथापि घरेलू उद्योग की मुक्त बाज़ार बिक्री में वृद्धि, संबद्ध देशों से आयात की वृद्धि की तुलना में काफी कम रही है।

झ. आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच मांग में लगभग *** प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की मुक्त बाज़ार बिक्री आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे बनी हुई है।

ञ. मांग में वृद्धि के कारण उत्पादन बढ़ने से जांच अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में सुधार हुआ है।

ट. संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पूर्णतः समाप्त हो गई है और वर्तमान में उसे घाटा हो रहा है, जिससे निरंतर प्रचालन अस्थिर हो गया है।

ठ. वित्तीय वर्ष 2023-24 से घरेलू उद्योग के वित्तीय मानकों में गिरावट प्रारंभ हो गई, क्योंकि लागत में वृद्धि के बावजूद उसे अपनी बिक्री कीमत स्थिर रखने अथवा घटाने के लिए विवश होना पड़ा।

ड. संबद्ध देशों द्वारा अपनाई जा रही आक्रामक बिक्री रणनीतियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन उत्पाद दीर्घकालिक अनुबंधों/निविदाओं के अंतर्गत बेचा जाता है, घरेलू उद्योग बढ़ी हुई लागत के अनुरूप अपनी कीमत तत्काल संशोधित नहीं कर सका।

ढ. जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत में 22 सूचकांक अंकों की वृद्धि होने के बावजूद, पाटित आयातों के दबाव में आवेदक अपने बिक्री मूल्य उसी अनुपात में नहीं बढ़ा सका। यह उल्लेखनीय है कि कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान पंहुच मूल्य में केवल 1 सूचकांक अंक की वृद्धि हुई।

ण. आवेदक को पाटित आयातों के कीमतों से मुकाबला करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के सभी लाभप्रदता मानकों में गंभीर गिरावट आई और जांच अवधि के दौरान घाटा हुआ। इसके अलावा, निवेश अवधि में आवेदक का ROCE (लाभ-प्राप्ति प्रतिशत) नकारात्मक हो गया है।

त. घरेलू उद्योग पर्याप्त आय या लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है और परिणामस्वरूप पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

थ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की मात्रा में निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से हुई वृद्धि यह और अधिक दर्शाती है कि ऐसे आयात भारतीय बाज़ार में शीघ्रता से प्रवेश करने और उसे अपने अधीन करने की क्षमता रखते हैं।

द. संबद्ध देशों के उत्पादक, जो अत्यधिक निर्यात-उन्मुख हैं, अपने घरेलू बाज़ार की खपत की तुलना में पर्याप्त अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाए हुए हैं, जिससे भारतीय घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की आशंका उत्पन्न होती है।

ध. यद्यपि प्रस्तावित जांच अवधि में मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, इसके बावजूद आयात अत्यधिक स्तर पर बढ़े हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आयात में वृद्धि की दर और मात्रा ऐसी है जो न केवल घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है, बल्कि उसे और अधिक गंभीर क्षति की आशंका में भी डाल रही है।

न. जांच अवधि में मांग में वृद्धि हुई है, अतः मांग में कमी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

<u>ज.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

42. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संकेत करने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। इसमें सभी संगत तथ्यों पर विचार किया जाएगा, जिनमें पाटित आयात की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाज़ार में उनके कीमतों पर प्रभाव तथा ऐसे आयातों का उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाला परिणामी प्रभाव शामिल है। पाटित आयातों के मूल्य प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या ऐसे आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में उल्लेखनीय कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में उल्लेखनीय रूप से कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती थीं। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के अनुरूप उद्योग की स्थिति से संबंधित सूचकांकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार किया गया है।

43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा क्षति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

<u>ज.3.1 क्षति का संचयी आकलन</u>

44. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.3 तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में, जहां किसी उत्पाद का एक से अधिक देशों से आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हो, प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन, निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने पर, दो प्रतिशत से अधिक हो तथा प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के कुल आयात का तीन प्रतिशत (या उससे अधिक) हो, अथवा जहां किसी एक देश से आयात तीन प्रतिशत से कम है, वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के कुल आयात का सात प्रतिशत से अधिक है; और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन, आयातित वस्तुओं और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है।

45. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा, कुल आयात मात्रा का अलग-अलग रूप से तीन प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल एक-दूसरे द्वारा दी गई समान वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाज़ार में घरेलू उद्योग द्वारा बेची जा रही समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

46. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करना उपयुक्त है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

47. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग एवं अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से होने वाले आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार अनुमानित मांग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

मांग का आकलन					
विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	16	0	4	122
चीन	एमटी	4	0	1	100
थाईलैंड	एमटी	12	0	3	22
अन्य देशों से आयात	एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कुल आयात	एमटी	16	0	4	122
आबद्ध छोड़कर घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	32	91
अन्य उत्पादक की बिक्री	एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पीयूसी की आबद्ध खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	97	151
आबद्ध को छोड़कर कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	31	126
आबद्ध को शामिल करते हुए कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	61	137

* स्रोत: डीजी सिस्टम्स के अनुसार आयात डेटा और घरेलू उद्योग के 4ए पर आधारित अन्य डेटा ।

48. यह देखा गया है कि पीयूसी के लिए आबद्ध सहित मांग वर्ष 2022-23 में प्रारंभ में घटी, परंतु इसके बाद 2023-24 और पीओआई में बढ़ी है। इसके अलावा, आबद्ध को छोड़कर मांग 2022-23 और 2023-24 में घटी, किंतु इसके बाद पीओआई में बढ़ी है।
49. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष और पीओआई को छोड़कर, संबद्ध वस्तुओं की मांग लगभग पूरी तरह घरेलू उद्योग द्वारा ही पूरी की जा रही थी।
50. यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए आबद्ध को छोड़कर कुल मांग में क्षति अवधि के दौरान 26% की वृद्धि हुई है।

<u>ख) समग्र तथा सापेक्ष रूप में आयात</u>

51. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के

आयात की मात्रा तथा क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
संबद्ध आयात	एमटी	16	0	4	122
चीन	एमटी	4	0	1	100
थाईलैंड	एमटी	12	0	3	22
अन्य आयात	एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल आयात	एमटी	16	0	4	122
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
घरेलू उत्पादन	रेंज	0-10	0-10	0-10	10-20
मांग (आबद्ध को छोड़कर)	%	***	***	***	***
मांग (आबद्ध को छोड़कर)	रेंज	0-10	0-10	0-10	30-40
मांग (आबद्ध सहित)	%	3%	0%	1%	16%
मांग (आबद्ध सहित)	रेंज	0-10	0-10	0-10	10-20
कुल आयात	%	100	100	100	100

* स्रोत: डीजी सिस्टम्स के अनुसार आयात डेटा।

52. उपरोक्त से, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात में अचानक वृद्धि देखी गई है।

ख. जहाँ संबद्ध देशों से आयात वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2023-24 में आबद्ध को छोड़कर मांग का केवल *** % और *** % था, वहीं पीओआई में ऐसे आयात कुल मांग का लगभग *** % हो गए हैं।

ग. यह भी नोट किया गया है कि यद्यपि पीओआई में आबद्ध को छोड़कर मांग में वृद्धि हुई है, तथापि इस मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में कमी

आई है, जबकि संबद्ध देशों से आयात की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

घ. घरेलू उत्पादन तथा आबद्ध को छोड़कर मांग के सापेक्ष आयात की मात्रा में पीओआई के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

53. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (ii) के अनुसार पाटित आयातों के कीमत पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती।

क) कीमत कटौती

54. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों के पंहुच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार निर्धारित कीमत कटौती नीचे दी गई है।

कीमत कटौती				
विवरण	**यूनिट**	**चीन जन. गण.**	**थाईलैंड**	**संबद्ध देश**
पंहुच मूल्य	रु/एमटी	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	**0-10**	**0-10**	0-10

* स्रोत: डीजी सिस्टम्स के अनुसार आयात डेटा और घरेलू उद्योग के 4ए पर आधारित अन्य डेटा ।

55. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वह अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के प्रयास में कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश है। इसके बावजूद, कीमत कटौती सकारात्मक बनी हुई है।

ख) कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण

56. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध आयातों के पंहुच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करने के पश्चात कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण की मौजूदगी की जांच की है। इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्री लागत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	122
पंहुच मूल्य	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	104	101
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	104	104

* स्रोत: डीजी सिस्टम्स के अनुसार आयात डेटा और घरेलू उद्योग के 4ए पर आधारित अन्य डेटा ।

57. उपरोक्त से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा निवल बिक्री प्राप्ति दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री लागत में वृद्धि, निवल बिक्री प्राप्ति में हुई वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक रही है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि पीओआई में पंहुच मूल्य, 2023-24 की तुलना में कम हो गया है।

<u>ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड</u>

58. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि तथा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानकों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग एवं बिक्री मात्रा

59. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग एवं बिक्री					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62	64	113
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रेंज	%	60-70	40-50	40-50	70-80
आबद्ध को छोड़कर घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	32	91
आबद्ध खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	97	151

* स्रोत: घरेलू उद्योग के 4ए के अनुसार आंकड़े।

60. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क. घरेलू उद्योग का उत्पादन मुख्यतः संबद्ध वस्तुओं की मांग में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुरूप परिवर्तित हुआ है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान कुल मिलाकर उत्पादन में वृद्धि हुई है।

ख. मांग और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की आबद्ध को छोड़कर बिक्री में गिरावट आई है।

ग. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, तथापि यह नोट किया गया है कि पीओआई में पर्याप्त मांग होने के बावजूद भारतीय क्षमताओं का *** % हिस्सा अप्रयुक्त बना हुआ है।

ख) बाजार हिस्सा

61. घरेलू उद्योग तथा आयात का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

बाजार हिस्सा					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग	रेंज	90-100	90-100	90-100	60-70
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
संबद्ध आयात	रेंज	0-10	0-10	0-10	30-40
अन्य देश से आयात	%	***	***	***	***
अन्य देश से आयात	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10

62. यह नोट किया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 एवं वित्त वर्ष 2023-24 में सुधार के पश्चात, पीओआई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में यह अचानक आई गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयात की बाजार हिस्सेदारी में हुई वृद्धि के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है।

ग) मालसूची

63. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

मालसूची					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	98	87

* स्रोत: घरेलू उद्योग के अनुच्छेद 4ए के अनुसार सूची ।

64. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में कमी आई है, तथापि घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन एवं बिक्री की तुलना में मालसूची का स्तर अब भी काफी अधिक बना हुआ है।

घ) <u>लाभप्रदता, नकद लाभ एवं नियोजित पूंजी पर आय</u>

65. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

लाभप्रदता मापदंड					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्री लागत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	122
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	104	104
पीबीटी	रु/एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	5	(94)
पीबीआईटी	रु/एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	7	(88)

पीबीडीआईटी	रु/एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	16	(72)
नकद लाभ	रु/एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	14	(77)
आरओसीई	%	***	***	***	(***)
रेंज	%	60-70	10-20	0-10	(40) - (30)

* स्रोत: घरेलू उद्योग के 4A पर आधारित डेटा।

66. उपर्युक्त से, यह नोट किया गया है कि:

क. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 22 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान निवल बिक्री प्राप्ति में केवल 4 सूचकांक अंकों की ही वृद्धि हुई है।

ख. यह भी नोट किया गया है कि बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी निवल बिक्री प्राप्ति को समानुपातिक रूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है, जिससे पीओआई में उसे घाटा हुआ है।

ग. यह महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान भारी नकद घाटा उठाया है तथा और इस अवधि के दौरान इसका आरओसीई भी नकारात्मक हो गया है।

ङ) रोजगार, उत्पादकता एवं मजदूरी

67. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

श्रम और उत्पादकता मापदंड					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	75	96

मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	91	148
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62	65	113
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	86	118

* स्रोत: घरेलू उद्योग के 4A के अनुसार डेटा।

68. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। तथापि, इसी क्षति अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है।

69. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप, क्षति अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी निरंतर वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

विवरण	**यूओएम**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
उत्पादन	%	(***)	***	***
घरेलू बिक्री	%	(***)	(***)	***
लाभ	%	(***)	(***)	(***)
आरओसीई	%	(***)	(***)	(***)
नकद लाभ	%	(***)	(***)	(***)

70. उपरोक्त से, यह नोट किया गया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री बढ़ी है, किंतु लाभप्रदता और आरओसीई में भारी गिरावट आई है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में काफी कमी आई है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

71. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह पर्याप्त लाभ अर्जित करने में असमर्थ रहा है और इसलिए, उसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता में गंभीर रूप से बाधा आई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण कोई नया निवेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादक पहले से किए गए निवेश पर लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं।

ज) <u>पाटन की मात्रा</u>

72. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन की मात्रा काफी अधिक है।

73. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पंहुचे हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

<u>ज.3.5 गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध</u>

74. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा ऐसे ज्ञात कारकों की समीक्षा की और यह निर्धारित किया कि क्या ऐसे कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने का कारण हो सकते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संदर्भ में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमत पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मांग में कमी या खपत की प्रवृति में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

75. संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयात का 100% हैं। तीसरे देशों से कोई आयात नहीं हुआ है।

ख) मांग में कमी

76. यद्यपि आधार वर्ष के बाद शुरूआत में मांग में कमी आई थी, किंतु पीओआई में संबद्ध वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ी। अतः घरेलू उद्योग को मांग में कमी के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत की प्रवृति

77. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं।

ड़) प्रौद्योगिकी में विकास

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता हो।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

80. उपरोक्त विश्लेषण में केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन को ध्यान में रखा गया है। अतः, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को हुए नुकसान का कारण नहीं माना जा सकता है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

81. उपरोक्त विश्लेषण केवल घरेलू समकक्ष उत्पाद के निष्पादन पर आधारित है। अतः अन्य उत्पादों के निष्पादन को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन करते समय नहीं लिया गया है।

<u>ज.3.6 कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक</u>

82. चूंकि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मानदंड अनंतिम रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन हो रहा है।

ii. पीओआई में पाटित आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष दोनों रूपों में, उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है।

iii. पीओआई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जबकि मांग बढ़ी है, यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयात ने वास्तव में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा किया है।

iv. संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की है तथा घरेलू उद्योग की कीमतों कर ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

v. मांग में वृद्धि के साथ पीओआई में उत्पादन बढ़ा है, किंतु घरेलू बिक्री उत्पादन के अनुरूप नहीं बढ़ी है।

vi. घरेलू उद्योग ने पीओआई में नकद घाटा सहित हानि उठाई और इस अवधि के दौरान नकारात्मक आय अर्जित की।

83. पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पंहुचे हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

<u>झ. क्षति मार्जिन का मात्रा</u>

84. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/आकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। एनआईपी पर संबद्ध देश से पंहुच मूल्य की तुलना करके क्षति मार्जिन की गणना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी निर्धारित करते समय, क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग ध्यान में रखा गया। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया। असाधारण या गैर-आवर्ती खर्चों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। उत्पाद के लिए औसत पूंजी पर उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को कर-पूर्व लाभ के रूप में एनआईपी में शामिल किया गया, जैसा कि नियमावली, 1995 के अनुबंध-III में विहित है।

85. पंहुच मूल्य और ऊपर यथा निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	**पंहुच मूल्य (अम. डा./एमटी)**	**क्षतिरहित कीमत (अम. डा./एमटी)**	**क्षति मार्जिन (अम. डा./एमटी)**	**क्षति मार्जिन** (%)	**क्षति मार्जिन (रेंज)**
चीन					
वुहान वूयाओ फार्मास्युटिकल्स कं. लि.	***	***	***	***	10-20
अन्य	***	***	***	***	10-20
थाईलैंड					
अन्य	***	***	***	***	15-25

ञ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो पीयूसी के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता और अंतिम उपभोक्ता के लिए लागत बढ़ जाएगी और भारत में अंतिम प्रयोक्ता प्रभावित होंगे।

ख. संबंधित मंत्रालय शुल्क के लागू होने का विरोध करेगा क्योंकि इसका बड़ी संख्या में निर्यातक/व्यापारी/आयातक और प्रयोक्ताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

ञ.2 घरेलू उद्योग के विचार

87. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पीयूसी विभिन्न संयोजनों में उपयोग किया जाता है और कुछ संयोजनों के लिए कीमतें एनपीपीए द्वारा नियंत्रित होती हैं।

ख. सभी अंतिम उत्पादों पर प्रभाव लगभग 2% होगा, जबकि नियंत्रण-रहित उत्पादों पर अर्थात उन संयोजनों की कीमतों पर, जिनकी कीमत एनपीपीए द्वारा नियंत्रित नहीं है, प्रभाव लगभग 1% होगा।

ग. यह नोट किया जाता है कि नियंत्रण-रहित उत्पादों का बाजार हिस्सेदारी लगभग 90% है।

घ. घरेलू उद्योग के पास भारत में संबद्ध वस्तु की मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

<u>ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्यतः घरेलू उद्योग को पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार से हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात को रोकना नहीं है। व्यापार उपचार जांच का उद्देश्य घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है, ताकि घरेलू उत्पादकों के लिए उचित शुल्क लगाकर व्यापार-समस्या उत्पन्न करने वाले आयातों के विरूद्ध समान स्तर की प्रतियोगिता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही, प्राधिकारी यह जानते हैं कि ऐसे शुल्क का प्रभाव केवल घरेलू उत्पादकों पर ही नहीं बल्कि पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। इसके अलावा, शुल्क लगाने से घरेलू प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह देश में नए उत्पादकों के उद्भव को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में किसी भी भारतीय प्रयोक्ता ने भाग नहीं लिया। यह भी देखा गया कि घरेलू उद्योग के अलावा केवल चीन के व्यापारी अर्थात सिनोब्राइट और ब्रिलिएंट ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने बाजार में बेची जाने वाली संबद्ध वस्तु से बने विभिन्न फार्मूलेशनों का विस्तृत प्रभाव प्रस्तुत किया है, तथापि सिनोब्राइट और ब्रिलिएंट ने अपनी प्रश्नावली में केवल सामान्य कथन प्रस्तुत किए हैं।

90. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एथाम्ब्युटोल हाइड्रोक्लोराइड के कुछ फार्मूलेशन राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) द्वारा नियंत्रित हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क का अंतिम उत्पादों पर प्रभाव लगभग 0-2% होगा। यह नोट किया गया कि अन्य किसी हितबद्ध पक्षकार ने एथाम्ब्युटोल के फार्मूलेशन की कीमत प्रभाव की गणना प्रस्तुत नहीं की।

91. यह भी नोट किया गया कि भारत में पीयूसी के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है। वर्तमान अपर्याप्त क्षमता उपयोग स्तर पर भी, घरेलू उद्योग के पास भारत की

पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता है। वास्तव में, पिछले वर्षों में घरेलू उद्योग ने भारत की पूरी मांग को पूरा किया है।

92. यह भी नोट किया गया कि संबद्ध वस्तुएं क्षय रोग रोधी दवा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक हैं। तदनुसार, घरेलू आपूर्ति स्रोत राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ट. <u>निष्कर्ष और सिफारिश</u>

93. ऊपर यथा उल्लिखित अनुरोधों, प्रदत्त सूचना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन लुपिन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। लुपिन लिमिटेड का पात्र घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

ख. विचाराधीन उत्पाद एथाम्ब्युटोल हाइड्रोक्लोराइड है।

ग. संबद्ध देशों के भागीदार उत्पादकों ने पीयूसी के दायरे पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन पद्धति अपनाने का सुझाव दिया।

घ. चीन जन. गण. के संदर्भ में, किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया, इसलिए चीन के एक्शेसन प्रोटोकॉल और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार, सामान्य मूल्य भारत में प्रदत्त या देय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया।

ड़. थाईलैंड के संबंध में, थाईलैंड से किसी निर्यातक ने भाग नहीं लिया, इसलिए ऐसे निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया।

च. सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत अनंतिम रूप से उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई है। यह सत्यापन के अधीन है।

छ. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन काफी अधिक है और निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है।

ज. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में पीओआई में समग्र और सापेक्ष रूप से क्षति अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।

झ. संबद्ध देशों से संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

ञ. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है और ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है जो अन्यथा बढ़ गई होती।

ट. ऐसे पाटित आयातों के घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव के संबंध में, निम्नलिखित अनंतिम निष्कर्ष निकाले गए हैं:

i. संबद्ध देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी घट गई है। भारत की पूरी मांग और मांग में वृद्धि को भी पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, पीओआई में घरेलू उद्योग की काफी क्षमता निष्क्रिय रही है।

ii. घरेलू उद्योग को पीओआई में घाटा, नकद घाटा और नकारात्मक आय प्राप्त हुई है।

ठ. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ड. किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध आयातित पाटन के कारण हुई है।

ढ. पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित में है क्योंकि यह निष्पक्ष बाजार स्थितियों को बहाल करेगा और भारत में समान स्तर की

प्रतिस्पर्धा स्थापित करेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान, नकद नुकसान और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है। ऐसे मामले में, बाजार स्थितियाँ आगे निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

ण. यह महत्वपूर्ण है कि संबद्ध वस्तुएं टीबी रोधी दवा निर्माण में उपयोग की जाती हैं। इसलिए, यह सार्वजनिक हित में है कि आपूर्ति के विविध स्रोत हों, जिनमें घरेलू स्रोत भी शामिल हों।

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू के बारे में सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार शुरू और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि जांच पूरी होने तक पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए अनंतिम शुल्क लगाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाए।

95. अपनाये गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। तदनुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए, जो नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर हो, और इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ आयात का पंहुच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि (अमडा./ एमटी)
1	2	3	4	5	6	7
1	2905 1410, 2905 1490	"एथम्बुटोल, एथम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड"	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	वुहान वूयावो फार्मास्युटिकल कं. लि.	5,124
2	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	क्रम सं. 1 से इतर कोई उत्पादक	6,096
3	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड किंगडम से इतर कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	6,096
4	वही	वही	थाईलैंड किंगडम	कोई	कोई	6,513
5	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड किंगडम से इतर कोई देश	थाईलैंड किंगडम	कोई	6,513

ठ. आगे की प्रक्रिया

96. प्रारंभिक जॉच परिणाम के अधिसूचित होने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

क. प्राधिकारी इन जॉच परिणामों के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इन अनंतिम जॉच परिणाम पर सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां

आमंत्रित करते हैं, और प्राधिकारी द्वारा संगत समझी जाने वाली टिप्पणियों को अंतिम जॉच परिणाम में शामिल किया जाएगा।

ख. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जॉच से संगत अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे।

ग. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।

घ. प्राधिकारी आवश्यकतानुसार हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का आगे और सत्यापन करेंगे।

इ. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध जॉच के अंतिम जॉच परिणाम जारी करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी